



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, 10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर,  
Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, 10<sup>th</sup> floor, C' Block, IT Towers,  
ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना ।  
AC Guards, Hyderabad, Andhra Pradesh & Telangana.

सं. प्रमुआआ/हैद/3/राभा/तिप्ररि/2023-24

दिनांक/Date: 22.09.2023.

सेवा में /To

1. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम / विजयवाड़ा  
CCIT, Hyderabad/ Visakhapatnam/ Vijayawada
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद/ DGIT (Inv.), Hyderabad
3. प्रधान आयकर आयुक्त-1 व 4, हैदराबाद / Pr.CIT-1 & 4, Hyderabad
4. आयकर आयुक्त (आईटीएटी-1 व 2) हैदराबाद/ आ.आ. (डीआर), विशाखपट्टणम  
CIT (ITAT-1 & 2), Hyderabad/ CIT(DR), Visakhapatnam
5. आयकर आयुक्त (टीडीएस) / (ऑडिट), हैदराबाद CIT (TDS)/ (Audit), Hyderabad

महोदय/महोदया,

विषय : हिन्दी की प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट - के संबंध में ।

Sub : Quarterly Progress Report regarding progressive use of Hindi-reg.

उपर्युक्त विषय पर यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा हिन्दी के प्रागामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भेजना जरूरी है। अतः जुलाई-सितंबर, 2023 (01 जुलाई, 2023 से 30 सितंबर, 2023) की राजभाषा हिन्दी के प्रागामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा (प्रमाणपत्र सहित) में ही भेजना सुनिश्चित करें। आपसे अनुरोध है कि दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट 05.10.2023 तक या उससे पहले भिजवायें ताकि समेकित रिपोर्ट को समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

On the above subject, this is to inform you that Quarterly Progress Report of the official language should be necessarily sent in the Proforma prescribed by the Central Board of Direct Taxes only, Hence, it may be ensured that Quarterly Progress Report regarding use of Rajbhasha Hindi must be sent in the enclosed Proforma for July-September, 2023 quarter. You are requested to send the Quarterly Progress Report for the quarter 01.07.2023 to 30.09.2023 on or before 05<sup>th</sup> October, 2023, so that the consolidated report could be sent timely to Central Board of Direct Taxes, New Delhi.

संलग्नक: तिमाही प्रगति रिपोर्ट का

प्रोफार्मा की प्रति

Encl: Copy of the proforma of

Quarterly Progress Report

भवदीय/Yours faithfully

कै. रवि किरण

(कै. रवि किरण/ K. Ravi Kiran)

आयकर आयुक्त (प्रशा. व करदाता सेवाएं) व राजभाषा अधिकारी

CIT (Admn. & TPS) & Rajbhashaadhikari

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

O/o Pr.Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad

को समाप्त तिमाही

Quarter ending on..

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

Part - I (To be furnished in each Quarter)

कार्यालय का नाम व पूरा पता

Name and full postal address of the Office

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी कोड \_\_\_\_\_ फोन नं. .... ई-मेल.....

Phone No. of Concerned Official Language Officer STD Code \_\_\_\_\_ Tel. No. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात\* की स्थिति

Documents\* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या  
(a) Total No. of documents issued  
(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या  
(b) How many issued in bilingual  
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात  
(g) Only in English  
(घ) Out of this how many issued only in English

\* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं।/ This includes General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions.

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम - 5)

Letters received in Hindi (Official Languages Rule 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या  
(a) Total No. of letters received in Hindi  
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए  
(b) out of this how many reply in hindi  
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए  
(g) Out of this how many reply in English  
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने आपेक्षित नहीं थे  
(d) out of these how many need not required to reply

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क' एव 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)/

Letters received in English & replied to in Hindi (Only for offices located in 'A' & 'B' region)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या/ No of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए/ Out of this letters replied to in Hindi	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए/ out of this how many reply in hindi	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने आपेक्षित नहीं थे out of these how many need not required to reply
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से/ From region 'A'	लागू नहीं	लागू नहीं		
'ख' क्षेत्र से/From region 'B'	लागू नहीं	लागू नहीं		

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा/ Details of total letters issued

	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/Bilingual	केवल अंग्रेजी में Only in English	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या/ Total No. of letters issued	प्रतिशतता Percentage
	1	2	3	
क' क्षेत्र को To Region 'A'				
'ख' क्षेत्र को To Region 'B'				
'ग' क्षेत्र को To Region 'C'				

Region A - Delhi, Haryana, Rajasthan, MP, UP, Bihar, Uttarkhand, Jharkhand, Chattisgarh, HP, Andaman & Nicobar Islands

Region B - Punjab, Gujarat, Maharashtra & Chandigarh (UT) and Region C - States other than A & B

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/ दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां / No.of notings / documents written during the quarter

- (i) पृष्ठों पर लिखी गई हिंदी टिप्पणियों की संख्या \_\_\_\_\_  
No. of pages notings written in Hindi \_\_\_\_\_
- (ii) पृष्ठों पर लिखी गई अंग्रेजी टिप्पणियों की संख्या \_\_\_\_\_  
No. of pages notings written in English \_\_\_\_\_
- (iii) कुल पृष्ठों पर लिखी गई टिप्पणियों की संख्या \_\_\_\_\_  
Total No. of noting written on pages \_\_\_\_\_  
(पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए)

6. हिंदी कार्यशालाएं/ Hindi Workshops

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या No. of full days workshops Conducted during the Quarter	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of Officers' trained	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या/ No. of Employees Trained

नोट: कार्यशाला में समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।  
Note : all officials are to be trained in the workshop compulsorily at least once in 2 years

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

Date of the meeting of the Dept./Org- Official Language Implementation Committee.

- (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि (केंद्रीय प्रधान कार्यालय की ) \_\_\_\_\_  
Date of OLIC (office of Central Principal)
- (ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या \_\_\_\_\_  
The No. of OLIC meetings constituted in sub-ordinate offices
- (ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या \_\_\_\_\_  
No. meetings held in this quarter
- (घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? \_\_\_\_\_  
Whether meeting Agenda and minutes issued in Hindi Yes/ No

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि/ Date of the meeting of the Hindi Advisory Committee: (केवल मंत्रालयों/ विभागों के लिए/ only for Ministries/ Departments)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/ उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)  
Notable and achievable work done in this quarter (in brief)(maximum 250 character)

10. उल्लिखित आँकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

A certificate regarding the correctness of the above mentioned figures/ data is enclosed.

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के नाम \_\_\_\_\_

Name of the Chairperson of the O.L.I.C of Min./Dep./Org.

पदनाम/ Designation \_\_\_\_\_

फोन नम्बर/ Telephone No \_\_\_\_\_

फैक्स नम्बर/Fax No. \_\_\_\_\_

ई-मेल का पता/E mail address \_\_\_\_\_

नोट/Note : 1. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

No column should be left blank and information should be given distinctly.

\*\*\*\*

## प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष :

“मैं यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि संलग्न .....को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपलब्धों में दिए गए निर्देशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढा-चढा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/ मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष

का नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दूरभाष/ फ़ैक्स

ई-मेल का पता

तिथि :

स्थान :

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।